न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00248 (129/2018) 223 आरटीएक्ट

विजय सिंह पुत्र स्व0 हरीराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ (राज0) –अपीलाण्ट

बनाम

1. भावना पत्नी
2. वर्षा पुत्री
3. एकता पुत्री
4. अनिरूद्ध पुत्र.

} स्व0 रायसिंह जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)

5. कमलादेवी पत्नी काशीराम
6. इन्द्रा पत्नी रामप्रताप
7. गायत्री पत्नी स्व औमप्रकाश

} जाति जाट निवासी डबली पक्की तहसील तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज0)

8. सन्जू पत्नी सुधीर जाति जाट निवासी राणिया तहसील राणिया जिला सिरसा (हरियाणा)
9. गुरमेज सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति कम्बोज सिखनिवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान सरकार तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 व संशोधित आदेश दिनांक 01.08.2016 द्वारा सहायक कलक्टर टिब्बी प्रकरण संख्या 502/2016

श्री योगेश झोरड़ अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 से 4

श्री तरसेम सिंह बराड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5 ता 8

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9

श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः—23.12.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायायल में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। दावा में चक 11 जीजीआर के खाात संख्या 85/68 खाता संख्या 52/65 व चक 12 जीजीआर, खाता संख्या 67/60 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का का हिस्सा वादपत्र में कहते हुए खाता तक्सीम का अनुतोष चाहा, जिस पर लोक अदालत की भावना से प्रेरत होकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य राजीनामा प्रस्तुत किया व मुताबिक वाद पत्र दावा डिक्री किये जाने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया। डिक्री उपरान्त रेस्पोडेण्ट संख्या 4 द्वारा एक प्रार्थना—पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 व 152 सीपीसी का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने पर निर्णय में लिपिकिय त्रूटि को दिनांक 01.08.2016 को दुरूस्त किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 9 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित होने के उपरान्त आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना—पत्र पेश किया जो पोषणीय नहीं था क्यों कि आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना—पत्र कानूनन वाद पत्र के लम्बित रहने के दौरान ही प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि वाद पत्र निर्णित होने के उपरान्त रेस्पोडेण्ट संख्या 9 द्वारा विधि के विपरीत जाकर प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया है। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। विद्या देवी व अपीलाण्ट का 1.290 हिस्सा कम कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 5 विद्या देवी /प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये बैयनामा 1.290 हैक्टेयर आराजी खरीद की गई थी तथा कानूनन विद्या देवी/प्रतिवादी संख्या 1 को डिक्री से प्राप्त हिस्से में से रेस्पोडेण्ट संख्या 5 द्वारा खरीद हिस्सा कम किया जाना चाहिये था जबकि जरिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट व विद्या देवी के हिस्से में से 1.290 हिस्सा कम किया जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के नाम 1.290 व अपीलाण्ट व विद्या देवी के नाम 3.993 है. आराजी दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है जो पत्रावली का अवलोकन किये बिना पारित किया गया है। राजस्व मण्डल के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव आने के उपरान्त ही विधि अनुसार अन्तिम डिक्री पारित की जानी चाहए थी। विद्या देवी की मृत्यु उपरान्त विद्या देवी के नाम दर्ज आराजी का विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तो प्रथम बार अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अनुसरण में में दर्ज नामान्तरण का ज्ञान हुआ जिस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1991 पेज 392, आरआरडी 1986 पेज 187, आरआरडी 1995 पेज 224 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या सं. 1 ता 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन दोनों पक्षों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने पर राजीनामा के आधार पर पारित किया गया है। राजीनामा पर अपीलाण्ट स्वयं के हस्ताक्षर हैं। राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री के लिए राजस्व मण्डल के नियम 15 से 21 की पालना की आवश्यकता नहीं है जहां पक्षकारों मे विवाद हो वहां इन नियमों की पालना की जाती है। इन्होंने प्रश्नगत भूमि पर लौन लिया है। इजराय हुई है भूमि का बेचान किया गया है। इसलिए अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का पूर्व से ही ज्ञान रहा है। जो राजीनामा में रकबा लिखा गया है वही हमें प्राप्त हुआ है। अपीलाण्ट इस निर्णय एवं डिक्री से कैसे प्रभावित है। यह नहीं बताया है। धारा 151 व 152 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र निर्णय व डिक्री में केवल मात्र मु. नं. 16/21 की 0. 152 अंकित किया जाना था उसके स्थान पर 1621/.152 अंकित हो गया था जिसकी दुरूस्ती करवाई गई है। ये लिपिकिय सहवन था जिससे वाद अनुतोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था इसलिए अपीलाण्ट को इस प्रार्थना–पत्र में सुना जाना आवश्यक नहीं था। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 5 ता 8 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्य 9 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है जमीन हमें डिक्री से बेच दी थी उसी का खाता विभाजन किया गया हैं। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।
8. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने खाता विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था। जिसमें चक 11 जीजीआर के खाता संख्या 85/68 व खाता संख्या 52/65 व चक 12 जीजीआर खाता संख्या 67/60 की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अर्जीदावा की चरण संख्या 6 के अनुसार खाता विभाजन का अनुतोष मांगा गया था। वाद पत्र में अपीलाण्ट प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में संयोजित था। अधीनस्थ न्यायालय में दोनों पक्षों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है और राजीनामा पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं, इस राजीनामा में अपीलाण्ट विजयसिह के भी हस्ताक्षर हैं। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश राजीनामा के आधार पर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय होने के उपरान्त रेस्पोडेण्ट संख्या 9 गुरमेज सिह द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार चक 11 जीजीआर खाता संख्या 85/68 में से 1.290 है. भूमि प्रतिवादिया विद्या देवी द्वारा गुरमेजसिह पुत्र हरनामसिंह जाति कम्बोज सिख को बेचान कर दी थी जिसका राजस्व रिकार्ड में भी अंकन हो चुका था लेकिन दावा में निर्णय पारित करते समय उसका रकबा प्रतिवादीया के नाम से सहवन दर्ज हो गया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.08.2016 के द्वारा दुरूस्त किया है। अपीलाण्ट ये अपील में यह स्पष्ट नहीं किया कि इस दुरूस्ती से अपीलाण्ट किस प्रकार प्रभावित है जबकि रेस्पोडेण्ट सं0 9 के कथनों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत चक 11 जीजीआर तहसील टिब्बी की जमाबन्दी संवत 2071–74 की है से होती है जिसके खाता संख्या 68 में गुरमेजसिंह पुत्र हरनामसिंह का 1.290 है0 का नामान्तरण दर्ज हो चुका था। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट द्वारा खरीद की गई भूमि को खाता विभाजन किया गया है। जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.08.2016 के द्वारा दुरूस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय राजीनामा के आधार पर होने के कारण एवं राजीनामा पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

होने के कारण सहमति से निर्णय पारित होने अपीलाण्ट की अपील में हम कोई सार नहीं पाते है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किय जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 व आदेश दिनांक 01.08.2016 यथावत रखे जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 13:09:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: